निर्णय बइजलास श्री रामावतार मीणा (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 3/2022

तारीख दायरा 16.03.2022

उनवान

मुकुट बिहारी पुत्र किशनलाल जाति मीणा निवासी ग्राम रकसपुरिया तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

– प्रार्थी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र गोपाललाल जाति मीणा,
2. जयसिंह पुत्र गोपाललाल जाति मीणा
3. दोलीबाई पत्नी स्व गोपाललाल जाति मीणा निवासीगण कोडियों का चौक तहसील सांगोद जिला कोटा।
4. राजबाई उर्फ राजेश बाई पुत्री गोपाललाल पत्नी ओमप्रकाश जाति मीणा निवासी हनुमान जी के मन्दिर के पास ग्राम पलायथा तहसील अन्ता जिला बारां।
5. मृतक हरदेव पुत्र शंकरलाल जाति मीणा जरिये कायम मुकामान –

   5/1 रघुवीर पुत्र हरदेव जाति मीणा,

   5/2 गुमानसिंह पुत्र हरदेव जाति मीणा,

   5/3 छोटूलाल पुत्र हरदेव जाति मीणा,

   5/4 प्रेमबाई पुत्री हरदेव जाति मीणा,

   5/5 रामप्रकाश पुत्र हरदेव जाति मीणा निवासीगण भगवानपुरा वार्ड नं.9 सांगोद।
6. बद्रीलाल पुत्र शंकरलाल जाति मीणा निवासी कोडियों का चौक सांगोद।

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

Scanned with OKEN Scanner

...श्याम पुत्र शंकरलाल जाति मीणा निवासी कोडियों का चौक सांगोद।

...नकीलाल पुत्र शंकरलाल जाति मीणा निवासी रकसपुरिया तहसील सांगोद।

...नबाई पुत्री शंकर पत्नी कालूलाल जाति मीणा निवासी बलदेवपुरा पोस्ट कटावर तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान।

... राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा।

– प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट

उपस्थित :–

श्री अशोक कुमार जैन (वकील प्रार्थी)

दिनांक :– 01.10.2024

श्री नरेन्द्र कुमार विजय (वकील प्रतिवादीगण)

–– निर्णय ––

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी क खाते व कब्जे काश्त की आराजी ग्राम माल दिल्लीपुरा पटवार क्षेत्र दिल्लीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा में खसरा संख्या 101 की 0.46 हैक्टेयर, खसरा संख्या 102 की 0.10 हैक्टेयर, खसरा संख्या 601 की 4.42 हैक्टेयर, खसरा संख्या 99 की 0.04 हैक्टेयर इस प्रकार कुल किता 4 की 7.02 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। प्रार्थी के खाते की खसरा संख्या 101, 102 व 99 की कृषि भूमि के समीप अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 के खाते व कब्जे की ग्राम दिल्लीपुरा में ही खसरा संख्या 91 की 1.50 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है, जिसके समीप ही अप्रार्थीगण 5 ता 10 के खाते व कब्जे की खसरा संख्या 90 की 1.27 हैक्टेयर की भूमि स्थित है, खसरा संख्या 90, खसरा संख्या 91 व खसरा संख्या 101 की भूमियां मौके पर सटवा स्थित है। खसरा संख्या 90 व 91 की कृषि भूमियों के पश्चिम में खसरा संख्या 49, 50, 51 की कृषि भूमियां राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। उक्त रास्ता आने जाने के काम में आ रहा है। प्रार्थी अपने खाते वह

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

की उक्त वर्णित खसरा संख्या 99, 101 व 102 की कृषि भूमि में हमेशा से खसरा नंबर 49, 50, 51 गैर मुमकिन रास्ते की भूमि से होता हुआ खसरा संख्या 90, 91 के मध्य स्थित मेड पर होता हुआ अपने खाते की भूमियों में आता जाता रहा है तथा उक्त भूमियों के मध्य स्थित मेड पर मौजूद रास्ते का सुखाधिकार के रूप में निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है परंतु पिछले वर्ष दिनांक 12.08.2021 के लगभग अप्रार्थी क्रम 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ने खसरा संख्या 90, 91 के मध्य स्थित मेड पर मौजूद रास्ते की भूमि को उपयोग उपभोग करने से प्रार्थी को मना कर दिया है और उन्होंने उक्त रास्ते की भूमि को बाधित कर दिया है उक्त रास्ता बाधित होने की स्थिति में प्रार्थी के पास अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से उक्त रास्ते को चालू करने के लिए निवेदन किया परंतु वे मानने को तैयार नहीं है इस पर प्रार्थी ने दिनांक 13.08.2021 को एक प्रार्थना पत्र क्रम 11 के कार्यालय में प्रस्तुत किया इस पर अप्रार्थी क्रम 11 ने हलका पटवारी से मौके की स्थिति की रिपोर्ट मंगवाई उक्त रिपोर्ट से भी यह जाहिर होता है कि प्रार्थी का सदैव से रास्ता उक्त स्थान पर होकर ही रहा है। प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251 क के प्रावधानों के अनुसार खसरा संख्या 90 की 1.27 हेक्टेयर व खसरा नंबर 91 की 1.50 हेक्टर भूमि के मध्य 12 फीट चौड़ाई के रास्ते वह लगभग 900 फुट लम्बाई के रास्ते में आने वाली भूमि की प्रतिकर राशि भी अप्रार्थी को अदा करने को तत्पर है। किन्तु अप्रार्थी फिर भी उक्त रास्ते को बहाल करने को तैयार नही है, तथा लगातार बाधित करने को आमादा है। यदि अप्रार्थी अपने कृत्य में सफल हो गये तो प्रार्थी अपनी कृषि भूमि का भली प्रकार उपयोग उपभोग नहीं कर पायेगा, जिससे प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी, जिसकी पूर्ति भविष्य में नही हो पायेगी। प्रार्थी के पास उसकी स्वंय की भूमि में आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता कभी मौजूद नहीं रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष में व अप्रार्थीगण के विरुद्ध निम्न आशय की आश्य की आज्ञा पारित फरमायी जाये कि:–

यह कि प्रार्थी के खाते व कब्जे की आराजी ग्राम माल दिल्लीपुरा पटवार क्षेत्र दिल्लीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा में खसरा नं0 101 की 0.46 हैक्टर, खसरा न० 102 की 0.10 हैक्टर, खसरा न0 99 की 0.04 हैक्टर कृषि भूमि में पहुंचने के लिए ग्राम दिल्लीपुरा तहसील सांगोद में स्थित अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 के खाते कब्जे

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

Scanned with OKEN Scanner

की खसरा न0 91 की 1.50 हैक्टर कृषि भूमि व अप्रार्थीगण 5 ता 10 के खाते व कब्जे की खसरान 90 की 1.27 हैक्टर की कृषि भूमि के मध्य में स्थित मेड़ पर मौजूद 12 फुट चौडाई 900 फुट लम्बाई के रास्ते की भूमि को गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया जाकर उक्त भूमि को राजकीय खाते में दर्ज की जाये तथा उक्त रास्ते की भूमि की प्रतिकर राशि जो भी विधि के अनुरूप बनती है, को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थी से प्राप्त करने हेतु अप्रार्थी क्रम 1 ता 10 को आदेशित किया जाये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी स. 1 ता 9 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार विजय द्वारा वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वणिर्त तथ्यों पर आपत्ति जाहिर की गई। प्रकरण में तहसीलदार सांगोद द्वारा पत्रांक राजस्व/24/823 दिनांक 30.05.2024 के माध्यम से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा ख. न. 90 एवं 91 की मध्य मेड से रास्ता चाहा गया है जिसमें घुमाव है तथा मेड के बीच में पेड भी है। मौके पर प्रार्थी की आराजी ख.न. 99, 101, 102 एक चक के रूप में बनी हुई है तथा ख.न. 99 तक ख.न. 98 रकबा 0.02 है., ख.न. 94 रकबा 0.02 है, ख.न. 534 रकबा 0.53 है. आराजी राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज है।

इसके उपरान्त पत्रावली बहस में नियत की गई। अधिवक्ता उभयपक्षकारान द्वारा पत्रावली में वर्णित तथ्यों को दौहराया गया। मेरे द्वारा बहस सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड, नकल जमाबन्दी, जवाब प्रार्थना पत्र, जवाब सरकार आदि से स्पष्ट है कि प्रार्थी की आराजी तक पहूँच हेतु पूर्व से ही रिकॉडेड रास्ता मौजूद से जिसके उपरान्त भी प्रार्थी द्वारा अन्य रास्ते की मांग की गई है। प्रकरण में विवादित आराजी तक जाने हेतु पूर्व से ही रेकार्डेड रास्ता उपलब्ध होने के कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए तहत स्वीकार योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्वय खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक ~~30.09.2024~~ 01.10.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)
(रामावतार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Scanned with OKEN Scanner